प्रेस नोट　　　　　　पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद　　　　　　दिनांक 29.03.2025

थाना खोड़ा पुलिस टीम द्वारा हत्या की घटना कारित करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार ।

कार्यवाही का विवरण:- दिनांक 21.03.2025 को थाना खोडा पर मधु विहार चौकी प्रगति विहार क्षेत्र निवासी गजराज सिंह ने सूचना दी कि मेरे मकान में रहने वाला व्यक्ति नेतराम शर्मा पुत्र रामनिवास शर्मा निवासी चंदनपुर थाना कमालगंज जनपद फर्रुखाबाद कमरे में मृत अवस्था में पड़ा हुआ है। नेतराम अपने साथी सुधीर शर्मा पुत्र रतिराम निवासी उबरापुर जनपद फर्रूखाबाद के साथ रहता था। उक्त सूचना पर तत्काल थाना खोडा पुलिस टीम द्वारा कमरे से मृतक नेतराम के शव का पंचायतनामा की कार्यवाही कर पोस्टमार्टम कराया गया था तथा फोरेंसिक टीम के द्वारा घटनास्थल का मौका मुआयना भी किया गया। उक्त घटना के सम्बन्ध में विस्तृत जांच की गयी तथा आज दिनांक 29.03.2025 को उक्त घटना के सम्बन्ध में मृतक नेतराम के भाई सूरज शर्मा पुत्र रामनिवास शर्मा निवासी चंदनपुर थाना कमालगंज फर्रुखाबाद की प्राप्त तहरीर के आधार पर धारा 103(1) बीएनएस में अभियोग पंजीकृत किया गया। तथा मुकदमा उपरोक्त में नामजद अभियुक्त सुधीर शर्मा पुत्र रतिराम शर्मा निवासी उबरापुर थाना कमालगंज जनपद फर्रूखाबाद हाल निवासी मधु विहार खोडा कॉलोनी थाना खोडा पुलिस टीम के द्वारा अहिल्याबाई गेट के पास मधु विहार चौकी क्षेत्र प्रगति विहार खोडा कॉलोनी थाना खोडा कमि0 गाजियाबाद से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त सुधीर शर्मा के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:- गिरफ्तार अभियुक्त सुधीर शर्मा पुत्र रतिराम शर्मा निवासी उबरापुर थाना कमालगंज जनपद फर्रूखाबाद हाल निवासी मधु विहार खोडा कॉलोनी थाना खोडा से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आये कि अभियुक्त सुधीर शर्मा व मृतक नेतराम निवासी चंदनपुर थाना कमालगंज फर्रुखाबाद मूल रूप से जनपद फर्रूखाबाद के रहने वाले है। अभियुक्त सुधीर शर्मा व मृतक नेतराम दोनों नौकरी करने के लिये आये थे और दोनों मधु विहार थाना खोड़ा में किराये का कमरा लेकर एक साथ रहने लगे। मृतक नेतराम अपना खाना होटल से मंगाकर खाता था और सुधीर राशन लाकर खाना कमरे पर ही बनाता था इस बात का मृतक नेतराम विरोध करता था कि कमरे में गर्मी हो जाती है। मृतक नेतराम शराब पीकर अभियुक्त सुधीर शर्मा को गाली देता था। दिनांक 15.03.2025 को कमरे में खाना बनाने की बात को लेकर नेतराम के द्वारा अभियुक्त सुधीर शर्मा के साथ गाली गलौच की गई। यह बात अभियुक्त सुधीर शर्मा को बहुत बुरी लगी। अभियुक्त ने कई बार पेपर में एवं अन्य लोगों से सुना था कि दो तरह की शराब पीने से आदमी की मृत्यु हो जाती है। अभियुक्त सुधीर ने नेतराम को मारने का प्लान बना लिया और नेतराम को देशी व अग्रेजी दोनों शराब एक साथ पिला दी थी। जब नेतराम अधिक शराब पीकर अचेत अवस्था में हो गया तब अभियुक्त सुधीर शर्मा कमरे का ताला लगाकर बाहर चला गया था जिससे नेतराम की मृत्यु हो गई।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता:-

सुधीर शर्मा पुत्र रतिराम शर्मा निवासी उबरापुर थाना कमालगंज जनपद फर्रूखाबाद हाल निवासी मधु विहार खोडा कॉलोनी थाना खोडा जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 45 वर्ष।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

- गिरफ्तार अभियुक्त सुधीर शर्मा के विरूद्ध थाना खोडा पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः-

थाना खोडा पुलिस टीम।

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस द्वारा दुष्कर्म के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 15.03.2025 को थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर वादी द्वारा तहरीर दी गई कि उसकी नाबालिक पुत्री उम्र करीब 15 वर्ष का घर से बिना बताये कहीं चले जाना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर तत्काल धारा 137(2) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर तलाश हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया। थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए पीडिता को बरामद किया गया तथा पीडिता के धारा 180/183 बीएनएसएस के बयान, मेडीकल परीक्षण व अन्य साक्ष्य संकलन के आधार पर उपरोक्त अभियोग में अभियुक्त देवांश शर्मा पुत्र गुरुदत्त शर्मा का नाम प्रकाश में आया तथा उपरोक्त अभियोग में धारा 64 बीएनएस व ¾ पॉक्सो अधिनियम की वृद्धि की गई।

आज दिनांक 29.03.2025 को थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर उपरोक्त घटना कारित करने वाले अभियुक्त देवांश शर्मा पुत्र गुरुदत्त शर्मा निवासी गली न0 13 शिवपुरी थाना विजयनगर जिला गाजियाबाद मूल पता ग्राम धनौरा थाना ककौड जिला बुलन्दशहर, उम्र करीब 24 वर्ष को जल प्लांट अन्डरपास के पास थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण–

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मेरी पीडिता से करीब 01 वर्ष पूर्व इन्स्टाग्राम पर बातचीत हुई थी उसके बाद धीरे-धीरे मेरी पीडिता से घनिष्ठता हो गई थी तथा मैं उसको बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया और उसके साथ शारीरिक संबंध बना लिये थे।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

देवांश शर्मा पुत्र गुरुदत्त शर्मा निवासी गली न0 13 शिवपुरी थाना विजयनगर जिला गाजियाबाद मूल पता ग्राम धनौरा थाना ककौड जिला बुलन्दशहर, उम्र करीब 24 वर्ष

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग

अभियुक्त के विरुद्ध थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर उपरोक्त प्रकरण के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम।

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस द्वारा अवैध देशी शराब हरियाणा मार्का के साथ 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 52 पव्वे अवैध देशी शराब हरियाणा मार्का तथा घटना में प्रयुक्त 01 स्कूटी बरामद।

दिनांक 29.03.2025 को थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान अवैध शराब के साथ 02 अभियुक्तगण 1.विशाल उर्फ हन्नी पुत्र विक्रम राजपूत निवासी झुग्गी नम्बर 6970 सुभाषनगर, थाना तिलकनगर दिल्ली, उम्र करीब 23 वर्ष 2. सन्नी उर्फ उपेन्द्र सिंह पुत्र अनिरुद्ध सिंह निवासी चौपाल वाली गली बेहटा हाजीपुर लोनी बॉर्डर गाजियाबाद, उम्र करीब 30 वर्ष को बंद फाटक के पास से थाना लोनी बॉर्डर क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से 52 पव्वे अवैध देशी शराब हरियाणा मार्का तथा घटना में प्रयुक्त 01 स्कूटी बरामद हुई। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरूद्ध थाना लोनी बॉर्डर पर आबकारी अधिनियम की धारा 60/63 के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्तों ने पूछताछ करने पर बताया कि हम चोरी-छिपे सस्ती शराब लाकर शराब के क्वार्टर को रेलवे लाइन के आस पास राह चलते लोगो को व आस पास की कॉलोनियों के लोगों को ज्यादा रुपये में बेचकर रुपये कमाते हैं और अपने शौक पूरे करते हैं। आज हम इस अवैध शराब को बेचने के लिए ले जा रहे थे कि पुलिस चेकिंग में पकड़े गये।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1.विशाल उर्फ हन्नी पुत्र विक्रम राजपूत निवासी झुग्गी नम्बर 6970 सुभाषनगर, थाना तिलकनगर दिल्ली, उम्र करीब 23 वर्ष।

2. सन्नी उर्फ उपेन्द्र सिंह पुत्र अनिरुद्ध सिंह निवासी चौपाल वाली गली बेहटा हाजीपुर लोनी बॉर्डर गाजियाबाद, उम्र करीब 30 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्तों के विरुद्ध उपरोक्त अवैध देशी शराब बरामदगी के सम्बन्ध में थाना लोनी बॉर्डर पर 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है। तथा अभियुक्त सन्नी उर्फ उपेन्द्र उपरोक्त के विरुद्ध लूट व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना लोनी बॉर्डर पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

बरामदगी का विवरणः-

52 पव्वे अवैध देशी शराब हरियाणा मार्का तथा घटना में प्रयुक्त 01 स्कूटी बरामद।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम।

थाना निवाडी पुलिस द्वारा दुष्कर्म के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 24.03.2025 को थाना निवाडी पर वादी द्वारा तहरीर दी गई कि गांव की एक लडकी ने मेरी नाबालिक पुत्री की दोस्ती इसराइल व अशरफ से करायी थी ये दोनों लोग मेरी लडकी से फोन पर बात करते थे। दिनांक 24.03.2025 को इसराइल ने फोन करके मेरी पुत्री को बुलाया तथा

बुलेट मोटरसाइकिल पर बैठाकर कब्रिस्तान के पास खेत में ले जाकर इसराइल ने जबरदस्ती मेरी पुत्री के साथ गलत काम किया । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना निवाडी पर धारा 64(1)/137(1)(बी)/87 बीएनएस व धारा 3/4 पोक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात आज दिनांक 29.03.2025 को थाना निवाडी पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त घटना में वांछित अभियुक्त इसराइल पुत्र बाबू खान निवासी ग्राम बसौद थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत को थाना निवाडी क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ के दौरान अभियुक्त ने बताया कि अशरफ मेरा पडोसी हैं। अशरफ व पीडिता आपस में फोन से बात किया करते थे। अशरफ के फोन से मैंने बिना बताये पीडिता का नम्बर ले लिया और मैं पीडिता से बात करने लगा तथा दिनांक 24.03.2025 को मैनें पीड़िता को फोन करके बुलाया और उसको अपने साथ खेत में ले जाकर शारीरिक सम्बन्ध बना लिये थे।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

इसराइल पुत्र बाबू खान निवासी ग्राम बसौद थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत,उम्र करीब 30 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध जनपद बागपत में दुष्कर्म का 01 अभियोग पंजीकृत है तथा थाना निवाडी पर उपरोक्त प्रकरण के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना निवाडी पुलिस टीम।

थाना भोजपुर पुलिस टीम द्वारा चोरी की घटना कारित करने वाले 03 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे/निशांदेही से चोरी का सामान बरामद।

दिनांक 28.03.2025 को थाना भोजपुर पर वादी द्वारा तहरीर दी गई कि अज्ञात चोर द्वारा भोजपुर पंचायतघर से इन्वर्टर की 04 बैटरी , कम्प्यूटर सिस्टम , प्रिंटर , एनाउन्समेंट का सामान व कैमरा आदि चोरी कर ले जाना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना भोजपुर पर तत्काल सुसंगत धारा 305 बी0एन0एस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा घटना के अनावरण हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात आज दिनांक 29.03.2025 को थाना भोजपुर पुलिस टीम द्वारा मैनुअल इन्पुट के आधार पर थाना उपरोक्त घटना का सफल अनावरण करते हुये घटना कारित करने वाले 03 अभियुक्तगण 1.अंकित शर्मा पुत्र नीर पाल शर्मा निवासी ग्राम भोजपुर थाना भोजपुर, गाजियाबाद उम्र करीब 21 वर्ष 2. समीर पुत्र जमील निवासी सादो वाली गली ग्राम भोजपुर थाना भोजपुर, गाजियाबाद उम्र करीब 19 वर्ष 3.मोहन उर्फ मोनू पुत्र विजेन्द्र मलिक निवासी ग्राम भोजपुर थाना भोजपुर गाजियाबाद, उम्र करीब 36 वर्ष को गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से चोरी के 02 इन्वर्टर बैटरी, 01 यूपीएस, 01 मॉनीटर, 01 एम्पलीफायर मशीन, 01 प्रिन्टर, 01 DVR बरामद हुए।

बरामदगी के आधार पर उपरोक्त अभियोग में धारा 3(5)/317(2) बी0एन0एस0 की वृद्धि की गई। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>पूछताछ का विवरण-</u>

पूछताछ के दौरान अभियुक्तगण द्वारा बताया गया कि हम लोग नशा करते हैं व हमारे पास नशा खरीदने के रूपये खत्म हो गये थे जिस कारण हमने मौका पाकर पंचायतघर से चोरी कर ली थी।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-</u>

1.अंकित शर्मा पुत्र नीर पाल शर्मा निवासी ग्राम भोजपुर थाना भोजपुर, गाजियाबाद उम्र करीब 21 वर्ष

2. समीर पुत्र जमील निवासी सादो वाली गली भोजपुर थाना भोजपुर, गाजियाबाद उम्र करीब 19 वर्ष

3.मोहन उर्फ मोनू पुत्र विजेन्द्र मलिक निवासी भोजपुर थाना भोजपुर गाजियाबाद, उम्र करीब 36 वर्ष

<u>बरामदगी का विवरण-</u>

चोरी के 02 इन्वर्टर बैटरी, 01 यूपीएस, 01 मॉनीटर, 01 एम्पलीफायर मशीन, 01 प्रिन्टर, 01 DVR बरामद।

<u>आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-</u>

अभियुक्तगण के विरूद्ध उपरोक्त घटना के संबंध में थाना भोजपुर पर चोरी का 01 अभियोग पंजीकृत है तथा अभियुक्त अंकित उपरोक्त पर थाना भोजपुर पर लूट के 02 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम।</u>

थाना भोजपुर पुलिस टीम।

सर्विलांस टीम ट्रांस हिंडन जोन व थाना लिंक रोड पुलिस टीम द्वारा कम्पनी (सव मोटर्स प्रा0लि0) के खाते से अवैध तरीके से 3,63,473 /- रुपये निकालने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से भिन्न-भिन्न घटनाओं में प्रयुक्त 07 मोबाइल फोन, 16 सिम कार्ड, 02 डेबिट कार्ड, 01 ड्राईविंग लाइसेंस, 02 पैन कार्ड व अलग- अलग बैक खातो से सम्बन्धित अन्य प्रपत्र बरामद।

<u>कार्यवाही का विवरण</u>:- दिनांक 26.03.2025 को थाना लिंकरोड पर वादी श्री आनन्द वर्मा पुत्र स्व0 श्री पी0एस0 वर्मा निवासी बी-41 मोहन पार्क शाहदरा दिल्ली की लिखित तहरीर दी कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने मोबाइल नं0--9870413741 द्वारा कम्पनी के (सव मोटर्स प्रा0लि0) एसबीआई खाता सं0- 35247392554 से धोखाधड़ी कर अवैध तरीके से 3,63,473/-रुपये निकाल लेने के सम्बन्ध में तहरीर दी। तत्काल थान लिंकरोड पुलिस द्वारा वादी की प्राप्त तहरीर के आधार पर धारा 66डी सूचना प्रोधौगिकी (संशोधन) अधिनियम व धारा 318(4) बीएनएस में अभियोग पंजीकृत किया गया। उक्त घटना को गंभीरता से लेते हुए टीमों का गठन किया गया। अभियुक्त अनिल सहगल व दीपक बंसल के द्वारा दिनांक 28.03.2025 को पुनः सव मोटर्स प्रा0लि0 के मालिक को खाता संख्या सम्बन्धी जानकारी लेने हेतु कॉल किया गया। सर्विलांस टीम व थाना लिंकरोड पुलिस टीम द्वारा उक्त मोबाइल नंबर को ट्रेस कर दिनांक 28.03.2025 को उक्त घटना में संलिप्त 02 अभियुक्त 1. अनिल सहगल पुत्र जयगोपाल निवासी म0नं0 33 गली नं0 19 संतनगर हनुमान मंदिर से अगली गली थाना बुराडी दिल्ली उम्र करीब 65 वर्ष, 2. दीपक बंसल पुत्र बजरंग बंसल निवासी म0नं0 ए 9/3 रामविहार डीएलएफ अंकुर विहार थाना अंकुर विहार जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 28 वर्ष को सनसाईन बैरियर दिल्ली बोर्डर से गिरफ्तार किया गया। जिनके कब्जे से भिन्न भिन्न घटना में प्रयुक्त 07 मोबाइल फोन, 16 सिम कार्ड, 02 डेबिट कार्ड, 01 ड्राईविंग लाइसेंस, 02 पैन कार्ड व अलग- अलग बैक खातो से सम्बन्धित अन्य प्रपत्र बरामद हुए। गिरफ्तार अभियुक्त अनिल सहगल व दीपक बंसल के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>पूछताछ का विवरण</u>:- गिरफ्तार अभियुक्त अनिल सहगल व दीपक बंसल से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आये कि ये अभियुक्तगण आटो मोबाइलस एंजेन्सीज / कम्पनी को टारगेट करते है। इनके द्वारा एजेन्सी की नेट पर डिटेल सर्च करते है तथा गुगल से एजेन्सीयो के मोबाइल नम्बर लेकर फर्जी आईडी के सिम से गाडी बुक कराने के नाम पर फोन करते

है और उनसे गाडी बुक कराने के लिये कोटेशन प्राप्त करते है। कोटेशन मिलने के बाद पैमेंट करने के लिये ये अभियुक्तगण उनसे उनका बैंक खाता नम्बर मांगते है और बैंक का विवरण मांगते है। बैंक डीटेल प्राप्त होने पर IFSC CODE से बैंक मैनेजर का नाम व मोबाइल नम्बर प्राप्त कर मैनेजर को कम्पनी / एजेन्सी का मालिक बनकर आवाज बदलकर अपने फर्जी सिम से काल कर कम्पनी / एजेन्सी का खाता नम्बर बताते हुये खाते का बैलेंस पूछकर अपने किसी अन्य साथी के द्वारा खुलवाये गये बैंक खाते में RTGS या NEFT करने के लिए कहते है बैंक मैनेजर द्वारा ट्रांसफर किये गये रूपयो को तुरन्त निकाल लेते है या कुछ पैमेंट UPI के माध्यम से ट्रांसफर कर देते है। फर्जी सिम / खाता उपलब्ध करवाने वाले व्यक्ति को फ्रोड की गयी धनराशि में से कुछ प्रश्नटेज दे देते है। दिनांक 23.10.2024 को सव मोटर्स प्रा0लि0 के खाते से अभियुक्तगण द्वारा इसी तरीके को अपना कर रूपये निकाल लिये थे। अभियुक्तगणों को जानकारी प्राप्त हुई कि सव मोटर्स प्रा0लि0 के मालिक की कई एजेन्सी व भिन्न भिन्न बैंको में खाते है। आज भी ये अभियुक्तगण कम्पनी के आनर्स को फोन कर कम्पनी के खाते की जानकारी कर रहे थे।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-</u>

1. अनिल सहगल पुत्र जयगोपाल निवासी म0न0 33 गली न0 19 संतनगर हनुमान मंदिर से अगली गली थाना बुराडी दिल्ली उम्र करीब 65 वर्ष।

2. दीपक बंसल पुत्र बजरंग बंसल निवासी म0न0 ए 9/3 रामविहार डीएलएफ अंकुर विहार थाना अंकुर विहार गाजियाबाद उम्र करीब 28 वर्ष।

<u>बरामदगी का विवरणः-</u>

- भिन्न-भिन्न घटनाओं में प्रयुक्त 07 मोबाइल फोन, 16 सिम कार्ड, 02 डेबिट कार्ड, 01 ड्राईविंग लाइसेंस, 02 पैन कार्ड व अलग- अलग बैक खातो से सम्बन्धित अन्य प्रपत्र बरामद।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त अनिल सहगल का आपराधिक इतिहासः-</u>

- गिरफ्तार अभियुक्त अनिल सहगल के विरुद्ध थाना लिंकरोड पर साइबर फ्रॉड का 01 अभियोग, थाना कविनगर पर धोखाधड़ी का 01 अभियोग, थाना साईबर एनआईटी फरिदाबाद हरियाणा में धोखाधडी का 01 अभियोग, साईबर क्राइम सहारनपुर मं साइबर फ्रॉड का 01अभियोग कुल 04 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त दीपक बंसल का आपराधिक इतिहासः-</u>

- गिरफ्तार अभियुक्त दीपक बंसल के विरुद्ध थाना लिंकरोड पर साइबर फ्रॉड का 01 अभियोग, थाना साईबर एनआईटी फरिदाबाद हरियाणा में धोखाधडी का 01 अभियोग कुल 02 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-</u>

सर्विलांस टीम ट्रांस हिंडन जोन व थाना लिंकरोड पुलिस टीम।